

(1)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-06
संख्या:-214/XXX(6)/22-20(02)21
देहशदून: दिनांक: 04 अगस्त, 2022

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त, परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत अधिसूचित किया जाता है :-

| क्र0 सं0 | सेवा का नाम | पदाभिहित अधिकारी का नाम | निर्धारित समय-सीमा (दिवस) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन) |
|----------|--|--|---------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | चालक अनुज्ञापति की प्रति जारी करना | संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | 07 दिवस | परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट उप परिवहन आयुक्त | परिवहन आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त परिवहन आयुक्त से निम्न स्तर का ना हो। | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक प्रमाणिकता हेतु ऑफलाईन) |
| 2 | चालक अनुज्ञापति की प्रमाणित प्रति जारी करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 3 | चालक अनुज्ञापति के स्मार्ट कार्ड में परिवर्तन | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) |
| 4 | अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञापति जारी किया जाना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) |
| 5 | चालक अनुज्ञापति का नवीनीकरण | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) |
| 6 | प्रशिक्षार्थी चालक अनुज्ञापति की द्वितीय प्रति जारी करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 7 | पूर्व में जारी चालक अनुज्ञापति में नयी वाहन श्रेणी का संयोजन किया जाना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक प्रमाणिकता हेतु ऑफलाईन) |

(2)

1/54577/2022
1/54577/2022

| क्र० सं० | सेवा का नाम | पदाभिहित अधिकारी का नाम | निर्धारित समय-सीमा (दिवस) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ ऑफलाईन) | |
|----------|---|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | चालक अनुज्ञप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) | |
| 9 | अन्य राज्यों के चालक अनुज्ञप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) | |
| 10 | शिक्षार्थी चालक अनुज्ञप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन | |
| 11 | परिचालक अनुज्ञप्ति जारी करना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) | |
| 12 | परिचालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) | |
| 13 | परिचालक अनुज्ञप्ति में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) | |
| 14 | परिचालक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए ऑफलाईन) | |
| 15 | अस्थायी पंजीकरण | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण हेतु ऑफलाईन) | |
| 16 | वाहनों का स्थाई पंजीयन (गैर परिवहन यान) | (अ) पंजीयन विहिन जारी करना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| | | (ब) एचओएसओ आरओपीओ लगवाने के पश्चात् पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करना | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 17 | वाहनों का स्थाई पंजीयन (परिवहन यान) | (अ) सीओएलओ टीओडीओ इंटीग्रेशन | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |

| क्र० सं० | सेवा का नाम | पदाभिहित अधिकारी का नाम | निर्धारित समय-सीमा (दिवस) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ऑफलाईन) | |
|----------|--|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | (ब) पंजीयन चिह्न जारी करना | तदैव | 02 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन | |
| | वाहनों का स्थाई पंजीयन (परिवहन यान) | (स) एच० एस० आर०पी० लगवाने के बाद पंजीयन क्रमांक जारी करना | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 18 | पंजीयन प्रमाण-पत्र में पत्र व्यवहार का पता परिवर्तन करना | (अ) राज्य में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| | | (ब) अन्य राज्यों के पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में | तदैव | 35 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 19 | पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (वाहन का निरीक्षण भौतिक रूप से) | |
| 20 | पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जारी करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन | |
| 21 | पंजीयन का परिवहन यान से निजी यान में अन्तरण | तदैव | 15 दिवस | तदैव | तदैव | ऑफलाईन (वाहन का निरीक्षण भौतिक रूप से) | |
| 22 | पंजीयन का निजी यान से परिवहन यान में अन्तरण | तदैव | 15 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन (वाहन का निरीक्षण भौतिक रूप से) | |
| 23 | परिवहन वाहनों के पंजीयन की द्वितीय प्रति जारी करना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन | |
| 24 | गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन की द्वितीय प्रति जारी करना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन | |

(4)

| क्र० सं० | सेवा का नाम | पदाभिहित अधिकारी का नाम | निर्धारित समय-सीमा (दिवस) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ऑफलाईन) |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | पंजीयन प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण | तदैव | 15 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 26 | कर भुगतान प्रमाण-पत्र | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 27 | अवक्रय पट्टा या आडमान करार (एच०पी०ए०) दर्ज करना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 28 | अवक्रय पट्टा या आडमान करार (एच०पी०ए०) निरस्त करना | तदैव | 10 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 29 | अन्य राज्य से हस्तांतरित वाहनों को पंजीयन विहन का समानुदेशन | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 30 | स्वामित्व हस्तांतरण (राज्य में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में) | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 31 | स्वामित्व हस्तांतरण (अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में) | तदैव | 35 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 32 | नीलामी द्वारा खरीदे गये वाहनों का स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाना | तदैव | 30 दिवस | तदैव | तदैव | ऑफलाईन |
| 33 | वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन सम्बन्धित मामला | तदैव | 10 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 34 | वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 35 | फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करना | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 36 | वाणिज्यिक प्रमाण-पत्र (Trade Registration) निर्गत किया जाना | तदैव | 30 दिवस | तदैव | तदैव | ऑफलाईन |
| 37 | मार्ग परमिट की सत्यापित प्रति दिया जाना | तदैव | 05 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |

(5)

| क्र० सं० | सेवा का नाम | पदाभिहित अधिकारी का नाम | निर्धारित समय-सीमा (दिवस) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | सेवा का माध्यम (ऑनलाईन/ऑफलाईन) |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | राष्ट्रीय परमिटों की द्वितीय प्रति जारी करना | तदैव | 03 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 39 | राष्ट्रीय परमिट का नवीनीकरण किया जाना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 40 | विशेष परमिटों का दिया जाना | तदैव | 02 दिवस | तदैव | तदैव | ऑफलाईन |
| 41 | माल वाहक वाहनों को परमिट दिया जाना | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |
| 42 | फॉरवर्डिंग एजेन्सी, कमीशन एजेन्ट, ट्रांसपोर्ट एजेन्ट का लाईसेन्स जारी किया जाना | तदैव | 30 दिवस | तदैव | तदैव | ऑफलाईन |
| 43 | वाहनों का अभ्यर्पण/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का जाँच प्रतिवेदन | तदैव | 07 दिवस | तदैव | तदैव | ऑनलाईन |

2. सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।

Signed by Arunendra Singh
Chauhan
Date: 04-08-2022 11:38:02

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

28 अक्टूबर, 2011 ई०

संख्या 1337/XXXI(13)G/2011-उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्न सारणी में उल्लिखित विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एतद्द्वारा निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-

| क्र० सं० | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|----------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बी०पी०एल० राशन कार्ड का नवीनीकरण करना | 1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 1. जिलापूर्ति अधिकारी | 1. जिला अधिकारी |
| | | 2. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 2. जिलापूर्ति अधिकारी | 2. जिला अधिकारी |
| | | 3. ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी | 10 दिन | 3. खण्ड विकास अधिकारी | 3. जिला अधिकारी |
| 2. | नवीन ए०पी०एल० राशन कार्ड जारी करना | 1. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में नगरीय सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 1. जिलापूर्ति अधिकारी | 1. जिला अधिकारी |
| | | 2. जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक | 10 दिन | 2. जिलापूर्ति अधिकारी | 2. जिला अधिकारी |

(ग) विनियमित क्षेत्र-

| क्र० सं० | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण | नियत प्राधिकार/ उप जिलाधिकारी | 30 दिन | नियंत्रक प्राधिकारी/ जिलाधिकारी | मण्डलायुक्त |

5. परिवहन विभाग-

| क्र० सं० | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम |
|----------|----------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | वाहन का पंजीयन | सम्मागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्मागीय निरीक्षक या सहायक सम्मागीय निरीक्षक, जो सम्मागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो | 1. केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसूचक आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या-20, 21 22 और फार्म संख्या-A, वाहन के बिल की मूलप्रति, वैध बीमा की सत्यापित प्रति, निवास प्रमाण-पत्र एवं एक फोटो के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त वाहन के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर जमा होने के उपरान्त 02 दिन के अन्दर 2. व्यवसायिक वाहन के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क/कर/अतिरिक्त कर जमा होने के उपरान्त के 04 दिन के अन्दर 3. अन्य जिलों/राज्यों से अस्थायी पंजीयन लेकर आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में यह अवधि आवेदन करने की तिथि से प्रपत्रों के सत्यापन के उपरान्त 30 दिन के अन्तर्गत होगी | उ० प्र० मोटरयान नियमावली, 1998 के धारा-57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिये प्राधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त, मुख्यालय होगा | परिवहन आयुक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------------|---|--|--|----------|
| 2. | शिक्षार्थी लाईसेंस | सम्मागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्मागीय निरीक्षक या सहायक सम्मागीय निरीक्षक जो सम्मागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो | केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-10 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या-01, 02, निवास प्रमाण-पत्र, आयु के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति, 16-18 वर्ष के मध्य आयु वालों के सम्बन्ध में अभिभावक की सहमति, व्यवसायिक शिक्षार्थी लाईसेन्स हेतु कम से कम 01 वर्ष पुराना वैध हल्की वाहन चालक लाईसेन्स, दो नवीनतम फोटो प्रस्तुतीकरण एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर परीक्षा ली जायेगी तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से 02 दिन | उ0 प्र0 मोटरयान परिवहन आ नियमावली, 1998 के नियम-05 के अन्तर्गत धारा-9 की उपधारा-8 एवं धारा-17 की उपधारा-02 और धारा-19 की उपधारा-03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिये सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा | परिवहन आ |
| 3. | स्थायी लाईसेंस | सम्मागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्मागीय निरीक्षक या सहायक सम्मागीय निरीक्षक जो सम्मागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्मागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो | केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 14 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज फार्म संख्या-04, वैध शिक्षार्थी लाईसेंस (न्यूनतम 30 दिन की अवधि पूर्ण होने पर) के व्यवसायिक लाईसेन्स के लिये फार्म संख्या-05 पर मोटर चालक प्रशिक्षण, स्कूल का प्रमाण-पत्र, दो नवीनतम फोटो एवं निर्धारित शुल्क जमा करने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के दूसरे दिन | उ0 प्र0 मोटरयान परिवहन आ नियमावली, 1998 के नियम-05 के अन्तर्गत धारा-09 की उपधारा-8 एवं धारा-17 की उपधारा-02 और धारा-19 की उपधारा-03 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिये सशक्त अधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा | परिवहन आ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--|---|--|--|---------------|
| 4. फिटनेस | सम्मागीय अधिकारी या सम्मागीय अधिकारी विभाग का सम्मागीय निरीक्षक, या सहायक सम्मागीय निरीक्षक जो सम्मागीय अधिकारी या सम्मागीय अधिकारी द्वारा प्राधिकारी के का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो | परिवहन या सहायक परिवहन का ऐसा निरीक्षक, या सहायक निरीक्षक जो सम्मागीय परिवहन या सहायक परिवहन अनुज्ञापन कर्तव्यों के प्राधिकृत किया गया हो | केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज वाहन निरीक्षण आख्या फार्म वैध बीमा प्रमाण-पत्र, नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र, समस्त देयों के मुगतान सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, चालन लम्बित न होने का प्रमाण-पत्र के साथ वाहन निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर उसी दिन निरीक्षण कर दिया जायेगा। फीट पाये जाने पर दूसरे दिन फिटनेस जारी कर दी जायेगी, फिट नहीं पाये जाने पर सभी कमियों को एक मुश्त लिखित रूप में सूचित कर दिया जायेगा। | उ0 प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के अन्तर्गत धारा-57 के अधीन अपीलों की सुनवाई के लिये प्राधिकारी, सम्बन्धित परिक्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय होगा | परिवहन आयुक्त |

6. पेयजल विभाग-

| क्र० सं० | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम | द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन जल संयोजन स्वीकृत करना अथवा विशेष परिस्थितियों में अस्वीकृत करना | | | | |
| (क) | 15 एम.एम. ब्यास के जल संयोजन | अधिशारी अभियंता | 15 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |
| (ख) | 20 एम.एम. ब्यास के जल संयोजन | अधिशारी अभियंता | 15 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |
| (ग) | 25 एम.एम. ब्यास के जल संयोजन | अधिशारी अभियंता | 30 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |
| (घ) | 32 एम.एम. ब्यास के जल संयोजन | अधिशारी अभियंता | 30 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |
| (ङ) | 40 एम.एम. ब्यास के जल संयोजन | अधिशारी अभियंता | 30 दिन | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य महाप्रबन्धक |

कार्यों का निष्पत्ति जिन पर विभाग द्वारा जांच कर संस्तुति/आख्या अग्रसारित की

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|--|--------|--|
| 10. | शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण की संस्तुति करना/ आख्या अग्रसारित करना (अगर लाईसेन्स निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व और लाईसेन्स निर्गत करने वाले जनपद जहां से सेवा प्रदान की जाती है) | प्रभारी, थानाध्यक्ष | 15 दिन | क्षेत्राधि |
| 11. | शस्त्र लाईसेन्स में अन्य कोई परिवर्तन करना विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है) | प्रभारी, थानाध्यक्ष | 07 दिन | क्षेत्राधि |
| 12. | मेला/प्रदर्शनी एवं अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना | प्रभारी, थानाध्यक्ष | 05 दिन | क्षेत्राधि |
| 13. | नये शस्त्र लाईसेन्स का सत्यापन विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना | प्रभारी, थानाध्यक्ष | 30 दिन | क्षेत्राधिक |
| 14. | शस्त्रों का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना | प्रभारी, थानाध्यक्ष | 15 दिन | क्षेत्राधिक |
| 15. | शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेन्स नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने, विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना | प्रभारी, थानाध्यक्ष | 15 दिन | क्षेत्राधिका |
| 16. | पेट्रोल-पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना | प्रभारी, थानाध्यक्ष/ अग्नि शमन अधिकारी | 15 दिन | क्षेत्राधिका मुख्य अग्नि शमन अधि |

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।